

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशायी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्, महाराजगंज,  
जनपद-महाराजगंज।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत जल निकासी के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, महाराजगंज के पत्र संख्या-2986एल0बी0ए0/2016, दिनांक 27 जून, 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, महाराजगंज द्वारा वाई नं0-21 में सिविल लाइन में बाटा शाप की दुकान से दिल्ली गारमेन्ट की दुकान तक नाले के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹ 23.93 लाख ( ₹ तेइस लाख तिरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 12.00 लाख ( ₹ बारह लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०	जिले का नाम	नगर निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	महाराजगंज	नगर पालिका परिषद्, महाराजगंज	वाई नं0-21 में सिविल लाइन में बाटा शाप की दुकान से दिल्ली गारमेन्ट की दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	23.93	12.00
		योग			12.00

( ₹ बारह लाख मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उओप्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

- (8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उपग्रो व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( उमा शंकर सिंह )  
विशेष कार्यधिकारी।

संख्या-17/2017/3926(1)/नौ-5-16-168बजट/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उपग्रो लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उपग्रो जल निगम, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उपग्रो लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )  
विशेष कार्यधिकारी।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017  
आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 17  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-17-2017-3926-9-5-16-168B-2016  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	1200000	1200000
		प्रगामी	4200000	4200000
	योग	वर्तमान	1200000	1200000
		प्रगामी	4200000	4200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया बारह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया बयालीस लाख

  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी